राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 811/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
किशन लाल बैरवा बी-415] महेश नगर] टोंक फाटक जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप निदेशक शिशु निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं, 2 जलपथ, गांधीनगर जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 16-05-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता, एओएस उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 03-07-2017 के द्वारा बुद्धराम मीणा, कनिष्ट लिपिक के गबन प्रकरण से संबंधित 7 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि सूचना भष्टाचार को उजागर करने के लिए जनहित में चाही गई थी लेकिन सूचना नहीं दी गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के आवेदन का विनिश्चय पत्र दिनांक 01-08-2017 से एक पृष्ठ की सूचना के साथ प्रेषित किया गया है। जिसमें बिन्दु संख्या 1, 2, 3 व 6 से संबंधित सूचना को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार नियुक्ता व कर्मचारी के बीच वाला संबंध है जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। बिन्दु संख्या 4, 5 व 7 का विनिश्चय अपीलार्थी को प्रेषित किया गया है। प्रथम अपील निर्णय दिनांक 22-09-2017 से प्रेषित की गई सूचना को पर्याप्त माना जाकर अपील को खारिज किया गया है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 11-04-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 01-08-2017 व प्रथम अपील निर्णय दिनांक 22-09-2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है जो बलहीन है। राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय एवं प्रथम अपील अधिकारी का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्रकरण गिरीश रामचन्द्र देश पाण्डे बनाम सीआईसी नई दिल्ली व अन्य में प्रपादित सिद्धान्तों के अनुसार विधि अनुकूल है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त